Name of the College - APSM College Barauni
Name → Dr. Rajesh Kumar Suman
Deptt → Economics
Designation → [GT]   Date → 15.4.2021
Class → B.A Part-1   Unit → 01
Paper → 2nd
Name of the topic → Reforms in the Indian tax structure

⇒ कर [Tax] → कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है, जो कर-आधार से संबंधित व्यक्ति या समूह द्वारा सरकार को बिना किसी प्रतिफल के देना होता है। कर को न चुकाना या कर की चोरी करना कानून दंडनीय अपराध है। कर एक अनैच्छिक शुल्क होता है जिसे सरकार की गतिविधियों को संचालित करने के लिये स्थानीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय सरकार द्वारा लागू किया जाता है।

⇒ 'कर आधार' वह आधार है जिसके अनुसार कर लगाया जाता है, जैसे :- 'आय कर' में आय का आधार है।

⇒ कर दो प्रकार का होता है—

(i) प्रत्यक्ष कर [Direct tax]

(ii) अप्रत्यक्ष कर [Indirect tax]

(i) प्रत्यक्ष कर → प्रत्यक्ष कर वह कर है, जिसे जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, उसी से वसूला जाता है। अर्थात् इसे किसी भी स्थिति में अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर की स्थिति में कराघात [Impact of tax] और करापात [Incidence of tax] दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है। उदाहरण → आयकर व निगम कर।

⇒ प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित कर आते हैं।

(i) व्यक्तिगत आयकर [Personal Income tax].

(ii) निगम कर [Corporate tax] (iii) संपत्ति कर [Wealth tax]
(iv) उपहार कर [Gift tax] (v) पूंजीलाभ कर [Capital Gains tax]
(vi) प्रतिभूति विनिमय कर [Securities Transaction tax]

(i) व्यक्तिगत आयकर :- व्यक्तिगत आयकर उन विभिन्न स्रोतों पर लगाया जाता है, जिनसे विभिन्न व्यक्तियों को आय प्राप्त होती है। आय के प्रमुख स्रोत हैं- वेतन व्यापार, तथा व्यवसाय से प्राप्त आय, संपत्ति आय, ब्याज प्राप्ति एवं अन्य आय इत्यादि। आयकर की वसूली करने का कार्य केन्द्र सरकार के आयकर विभाग का है। जो कि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड [CBDT] द्वारा शासित किया जाता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भारत में विभिन्न प्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी मामलों का प्रधान प्राप्त है। भारत में आयकर, आयकर अधिनियम 1961 के तहत लगाया जाता है।

(ii) निगम कर :- निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है, जो कंपनियों के आय कर भी कहा जाता है। निगम कर केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित एवं एकत्र किया जाता है। यह कर राज्यों के मध्य विभाजित नहीं किया जाता। वर्तमान में निगम कर भारत सरकार के राजस्व प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है।

(iii) संपत्ति कर :- संपत्ति से कुमाए हुए आय पर लगने वाले कर को संपत्ति कर के रूप में जाना जाता है। संपत्ति कर अधिनियम, 1957 के तहत भारत में संपत्ति कर सर्वप्रथम 1 April 1957 को लगाया गया था। यह व्यक्तियों, संयुक्त हिन्दू परिवारों और कंपनियों की कर मुक्त संपत्ति निकाल देने के बाद बचने वाली निवल संपत्ति पर लगाया जाता है।

Scanned with CamScanner

भारत में संपत्ति कर राज्य सरकारों का कर है। इसके तहत प्रत्येक वर्ष संपत्ति का मूल्यांकन करके कर लगाया जाता है। संपत्ति कर को 2015-16 के बजट से वित्त मंत्री — श्री अरुण जेटली द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

(6) उपहार कर :→ भारत में आयकर अधिनियम के तहत किसी दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा और बिना किसी प्रतिफल के हस्तांतरित की गई चल या अचल परिसंपत्ति उपहार कही जाती है तथा इस उपहार पर आयकर अधिनियम के तहत लगाने वाले कर को उपहार कर कहते हैं। उपहार कर अधिनियम 1958 को लगाया गया था जिसे 1998 के बाद समाप्त कर दिया गया। पुन: नए सिरे से 2002-03 से यह व्यवस्था की गई है कि यदि बिना किसी प्रतिफल के सगे-संबंधी द्वारा दिए गए उपहार या किसी अन्य या विवाह के अवसर पर दिये गए उपहार प्राप्तकर्ता की आय में जोड़ दिया जाएगा तथा उसके द्वारा प्राप्त अन्य आय की तरह इस पर भी आयकर देय होगा।

Scanned with CamScanner